विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

छ.वि.नि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/53
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा, जिला बालोद
बी.पी. नं. **1004471676**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

अनावेदकगण

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के **2 HP Water Works** हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1004471676 से संबंधित जमत वतो विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/53 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें अनावेदक अनुपस्थित रहे तथा आवेदक की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, विगत तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक तथा मीटर रीडिंग संबंधी अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1004471676 के अंतर्गत Water Works कनेक्शन पर पूर्व में GENUS, S/L No- 5314541, 10-60A, तीन फेज मीटर स्थापित था, जिसे दिनांक 23.08.2025 को GENUS Smart Meter, S/L No- G4113098, 10-60A से प्रतिस्थापित किया गया।

मीटर परिवर्तन के समय पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 3638 यूनिट पाई गई, जबकि बिलिंग 3426 यूनिट तक की गई थी। शेष 212 यूनिट की बिलिंग बाद में की गई। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हुआ कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक मीटर खराब रहने के कारण उस अवधि की बिलिंग पूर्ववर्ती छह माह की औसत खपत 415 यूनिट प्रति माह के आधार पर की गई। पुराने मीटर में पावर फैक्टर (PF) का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात अधिकतम मांग (MD) एवं पावर फैक्टर का रिकॉर्ड लिया जा रहा है तथा पावर फैक्टर कम होने के कारण टैरिफ प्रावधानानुसार कोई छूट देय नहीं पाई गई।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, बिलिंग गणना पत्रक, मीटर डायरी तथा पक्षकारों के कथनों के परीक्षण के उपरांत फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है–

1. अभिलेखों से स्पष्ट है कि जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक उपभोक्ता का मीटर खराब/बंद था तथा इस अवधि में औसत खपत के आधार पर बिलिंग की गई। यद्यपि इस अवधि में पावर फैक्टर (PF) का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, तथापि उपभोक्ता से Power Factor Surcharge की वसूली की गई, जो प्रचलित टैरिफ प्रावधानों के विपरीत है। अतः मीटर बंद रहने की अवधि में लगाया गया समस्त Power Factor Surcharge निरस्त किया जाना उचित है।

2. मीटर डायरी एवं अधिकतम मांग (Maximum Demand) के अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की अधिकतम मांग में क्रमिक वृद्धि हुई है। प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार लगातार निर्धारित अवधि तक अधिकतम मांग स्वीकृत भार से अधिक रहने पर स्वीकृत भार पुनर्निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अतः उपभोक्ता का स्वीकृत भार निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया जाना उचित है—

मार्च 2023 से 3 किलोवाट,
मार्च 2025 से 4 किलोवाट,
दिसंबर 2025 से 7 किलोवाट।

3. फोरम द्वारा मीटर परिवर्तन, ऊर्जा खपत एवं औसत बिलिंग का परीक्षण करने पर पाया गया कि मीटर खराब रहने की अवधि में पूर्ववर्ती छह माह की औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग नियमानुसार है तथा ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की विसंगति प्रमाणित नहीं हुई। अतः इस संबंध में कोई राहत प्रदान किए जाने का आधार उपलब्ध नहीं है।

4. आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता हैकृ

1. जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक की अवधि में बिना पावर फैक्टर रीडिंग के लगाए गए समस्त Power Factor Surcharge को निरस्त करते हुए संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

2. उपभोक्ता का स्वीकृत भार प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया जाएकृ

मार्च 2023 से 3 किलोवाट,
मार्च 2025 से 4 किलोवाट,
दिसंबर 2025 से 7 किलोवाट।

3. मीटर खराब रहने की अवधि में औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग तथा मीटर परिवर्तन के उपरांत ऊर्जा खपत का परीक्षण सही पाए जाने से इस संबंध में कोई अतिरिक्त राहत प्रदान नहीं की जाती।

4. उपरोक्त मदों में यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि की वसूली की गई है, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

5. संशोधित विद्युत देयक जारी करने एवं समस्त कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर अनुपालनं प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. यह आदेश उपलब्ध अभिलेखों, पक्षकारों के कथनों तथा प्रचलित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश एवं लागू विनियमों के आधार पर पारित किया जाता है।

7. प्रकरण का निराकरण उपर्युक्त आदेशानुसार किया जाता है।

8. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग